

न्यायालय- श्रीमती गंगा पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

दां.प्र.क्र. 757/2022

शा. वि. दिलहरण सहिस

13-09-2024

राज्य द्वारा एडीपीओ।

आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी का फौत के संबंध में थाना प्रभारी सक्ती से सत्यापित मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति पेश।

आरोपी के फौती प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी दिलहरण पिता हिराधर सहिस उम्र 50 साल, साकिन सक्ती, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) का दिनांक 17-12-2022 को फौत हो गया है। उक्त संबंध में थाना सक्ती के द्वारा आरोपी का फौती के संबंध में थाना प्रभारी सक्ती द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति पेश की गयी है। अतः आरोपी को थाना सक्ती के अपराध क्र. 32/22 अंतर्गत धारा 34-1-क आबकारी अधिनियम के अपराध में उपसमित किया जाता है।

प्रकरण में जसशुदा संपत्ति 04 लीटर कच्ची महुआ शराब मुल्यहिन होने से विधिवत नष्ट किया जावे।

प्रकरण की कार्यवाही समाप्त।

यह आदेश पत्रिका मूल प्रकरण के संलग्न किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर, विधिवत व्यस्थित कर निर्धारित समयावधि के भीतर अभिलेखागार प्रेषित की जावे।

sd/-

श्रीमती गंगा पटेल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर चांपा छ.ग.